

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस-नोट

दिनांक:— 09.05.2025

वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के विषय-हिन्दी एवं संस्कृत के पदों हेतु विचारित सूची क्रमशः दिनांक 06.05.2025 एवं 07.05.2025 व विषय- सामाजिक विज्ञान एवं अंग्रेजी के पदों हेतु विचारित सूची दिनांक 08.05.2025 को आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर घोषित की जा चुकी है। विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में सफल अभ्यर्थी निम्नांकित दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें:-

विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने SSO ID के माध्यम से Recruitment Portal पर My Recruitment → Detailed Form Cum Scrutiny → Apply Now का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन-पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा निम्नांकित तालिका में वर्णित विषय मय दिनांक अनुसार लिंक खोला जाएगा। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विषय	विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की दिनांक
01	हिन्दी	दिनांक 13.05.2025 से 19.05.2025 (रात्रि 11:59:59) तक
02	संस्कृत	दिनांक 14.05.2025 से 20.05.2025 (रात्रि 11:59:59) तक
03	सामाजिक विज्ञान	दिनांक 15.05.2025 से 21.05.2025 (रात्रि 11:59:59) तक
04	अंग्रेजी	

इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन-पत्र एवं दस्तावेजों की जाँच संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जाएगी।

अतः ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित हों। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर) से दस्तावेज जाँच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जाएंगे।

(रामनिवास मेहता)
सचिव